संख्याः1/2019/सी0ए0-204/दस/2019-6/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0शासन।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनु0 दिनांकः12 सितम्बर,2019

विषयः-वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के उपयोग के सम्बंध में।

महोदय,

वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019 -231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने सम्बंधी विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से कराये गये बजट प्राविधानों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संखया- बी-2-520/दस-2019-244/ 2019, दिनांक 29 जुलाई, 2019 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा अभी तक अपेक्षित वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत नहीं की गई हैं।

2. वित्तीय स्वीकृतियॉ समयान्तर्गत जारी होने के साथ-साथ इसका सदुपयोग किये जाने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा इस सम्बंध में नियमित रूप से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः-

(1) वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष जिन विभागों द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियाँ निर्गत नहीं की गई है, उन्हें प्राथमिकता पर निर्गत किया जाये। वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बजट प्रावधान के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ न जारी की जायें।

(2) नई मांग के माध्यम से प्रावधानित मदों के सम्बंध में अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए अविलम्ब वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की जायें।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विभागाध्यक्ष स्तर से धनराशि कार्यदायी संस्थाओं/जनपदों को व्यय हेतु उपलब्ध हो जाये जिससे स्वीकृत धनराशि का समय से सदुपयोग सुनिश्चित हो सके।

(4) निर्माण कार्यो को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये और इनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाये। इस विषय में कार्य-योजना बनाकर नियमित अंतराल पर समीक्षा भी की जाये, जिससे कि टाइम ओवर-रन एवं कॉस्ट ओवर-रन से बचा जा सके।

(5) केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के लिये अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाय । इसके साथ ही केन्द्रीय योजनाओं के लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार को प्रेषित किये जायें।

(6) कार्यदायी संस्थाओं के पास गत वर्षो की अप्रयुक्त धनराशि का प्राथमिकता पर व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ।

3. अतः कृपया उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रत्येक माह 05 से 09 तारीख के मध्य गहन समीक्षा कर ली जाये तथा बैठक के कार्यवृत्त के साथ संलग्न प्रारूप पर अपेक्षित विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करा दिए जायें। वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह तक विभागों के साथ वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा उसका विवरण सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

भवदीय,

( राजेन्द्र कुमार तिवारी )
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि :-

1- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ।

आज्ञा से,

( भुवनेश कुमार )
सचिव।

# योजनावार वित्तीय प्रगति से संबधित प्रपत्र-रूप पत्र-1

**विभाग का नाम** वित्तीय वर्ष 2019-20

**माह का नाम** **(रू लाख मे )**

| क्रमांक | योजना/परियोजना का नाम | आय-व्ययक प्राविधान | | जारी स्वीकृतियां | | विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि | | आलोच्य मासान्त तक व्यय | | बैंक/कार्यदायी संस्था के पास अप्रयुक्त धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | कुल मे अधिष्ठान | कुल | कुल मे अधिष्ठान | कुल | कुल मे अधिष्ठान | कुल | कुल मे अधिष्ठान | दिनांक 1.4.19 को अप्रयुक्त धनराशि | मासान्त तक व्यय | अवशेष |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13(11-12) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **कुल योग** | | | | | | | | | | | |

रूपपत्र-2

केंद्रीय सेक्टर/केंद्रपुरोनिधानित योजनाओं की प्रगति सें संबंधित प्रपत्र

**वर्ष 2019-20**

**विभाग का नाम-** धनराशि(लाख रू)

| क्रम संख्या | योजना/परियोजना का नाम(वित्त पोषण सहित) | वित्तीय लक्ष्य | भारत सरकार से अवमुक्त केद्रांश | | | अवशेष सहायता | उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भारत सरकार से धनराशि प्राप्त किये जाने का लक्ष्य | बजट के माध्यम से | कार्यदायी संस्था/ जनपदो/लाभार्थी/ पी0एफ0एम0एस0 से सीधे अवमुक्त | कुल | | देय | प्रेषित | अवशेष | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7 (3-6) | 8 | 9 | 10(8-9) | 11 |
| | | | | | | | | | | |